[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 17/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक **27** सितम्बर, 2024

सा.का.नि. (अ).- जब कि चीन जनवादी गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "आइसोब्यूटीलीन -आइसोप्रीन रबड़ ('आईआईआर')" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4002 31 00 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में अधिसूचना फाइल संख्या 06/05/2023-डीजीटीआर, दिनांक 29 जून, 2024, जिसे दिनांक 30 जून, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है कि –

(i) प्राधिकारी ने प्रोडक्ट कण्ट्रोल नंबर **(**पीसीएन**)** पद्धति अपनाई है तथा उसे अधिसूचीत किया है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है की आयातित तथा घरेलू उत्पाद की तुलना उचित है**,** पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन वह उचित तुलना करके निर्धारित किए गए हैं। पीसीएन सिद्धांत सभी हितबद्ध पक्षकारों को उचित अवसर देने के बाद और विभिन्न पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और टिप्पणियों को ध्यान रखने के बाद तैयार किया गया था **;** और पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है**;**

(ii) घरेलु उद्योग को सम्बद्ध देशो से पाटित सामानो के परिणाम स्वरुप वास्तविक क्षति हुई है**;**

(iii) जांच से यह बात सामने आई है की किसी अन्य कारक से घरेलु उद्योग को क्षति हो सकता है**;**

और यह सिफारिश करती है कि घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाये ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धाराओं (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो सारणी के कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और सारणी के कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, सारणी के कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और सारणी के कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलत :उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक / निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	4002 31 00	आइसोब्यूटीलीन-आइसोप्रीन रबड़	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	325	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	325	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

			अमेरिका को छोड़कर कोई देश					
3	-वही-	-वही-	रूस	रूस समेत कोई भी देश	कोई भी	931	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कोई देश	रूस	कोई भी	931	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब	अल जुबेल पेट्रोकेमिकल कंपनी	594	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब समेत कोई भी देश	क्र. सं. (5) पर उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	653	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कोई देश	सऊदी अरब	कोई भी	653	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर	ऐसोनमोबिल एशिया	1047	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

					पी टी इ लि			
9	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर समेत कोई भी देश	क्र. सं. (8) पर उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	1152	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कोई देश	सिंगापुर	कोई भी	1152	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
11	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	एक्सोन मोबील प्रोडक्ट सोल्युशन कंपनी	781	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कोई भी देश	क्र. सं. (11) पर उल्लिखित को छोड़कर कोई उत्पादक	859	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
13	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर कोई देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	859	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 190354/101/2024-टीआरयू]

(अम्रीता टाइटस)

उप सचिव, भारत सरकार